



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012021-224294
CG-DL-E-08012021-224294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/ पौष 18, 1942

No. 8]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

CEA-PS-11-21(21)/10/2020-PSPA-I Division.—जबकि मैसर्स ईडन रिनिवेबल सिटे प्राइवेट लिमिटेड, आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 236-बी एण्ड 236-सी, पहली मंजिल डीएलएफ साऊथ कोर्ट, सांकेत नई दिल्ली-110017 में है, ने पारेषण योजना “मैसर्स ईडन रिनिवेबल सिटे प्राइवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट सौर पावर प्लांट गांव लाखासर, जिला-जैसलमेर (राज.) की कनेक्टिविटी PGCIL 765/400/220kV फतेहगढ़-II PS जैसलमेर राजस्थान से जोड़ने के संदर्भ में।” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हैं:

- (i) मैसर्स ईडन साईट ISTS राज पावर प्लांट- फतेहगढ़-II PS 220 kV S/c लाइन (नॉमिनल वोल्टेज में 300MW की न्यूनतम क्षमता के साथ), टर्मिनल बे के साथ, ERCPL जेनरेशन स्विचयार्ड तक “ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई” लाइन लगभग 13.34 Km होगी, उसमें से 10 किमी. की S/c लाइन का निर्माण D/C Towers पर होगा और बाकी फतेहगढ़- II PS सब स्टेशन तक की S/c लाइन M/c टावर्स पर होगी।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division दिनांक 27.02.2020 के द्वारा पारेषण योजना “मैसर्स ईडन रनिवेबल सिटे प्राईवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट सौर पावर प्लांट गांव लाखासर, जिला-जैसलमेर (राज.) की कनेक्टिविटी PGCIL 765/400/220kV फतेहगढ़-II PS जैसलमेर राजस्थान से जोड़ने के संदर्भ में” के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन के लिए ईडन रनिवेबल सिटे प्राईवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था:

- (i) मैसर्स ईडन साईट ISTS राज पावर प्लांट- फतेहगढ़-II PS 220 kV S/c लाइन (नॉमिनल वोल्टेज में 300MW की न्यूनतम क्षमता के साथ), ERCPL जेनरेशन स्विचयार्ड तक।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मैसर्स ईडन रनिवेबल सिटे प्राईवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट सौर पावर प्लांट गांव लाखासर, जिला-जैसलमेर (राज.) की कनेक्टिविटी PGCIL 765/400/220kV फतेहगढ़-II PS जैसलमेर राजस्थान से जोड़ने के संदर्भ में” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

स्कीम के अंतर्गत ओवरहेड लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

गाँव	तालुक	जिला
लाखासर	पोकरण	जैसलमेर
सनवाता, रासला	फतेहगढ़	जैसलमेर

मैसर्स ईडन रनिवेबल सिटे प्राईवेट लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स ईडन रनिवेबल सिटे प्राईवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक को “मैसर्स ईडन रनिवेबल सिटे प्राईवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट सौर पावर प्लांट गांव लाखासर, जिला-जैसलमेर (राज.) की कनेक्टिविटी PGCIL 765/400/220kV फतेहगढ़-II PS जैसलमेर राजस्थान से जोड़ने के संदर्भ में” पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक मार्च 28- अप्रैल 3, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित है।
- आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- (vii) मैसर्स ईडन रनिवेबल सिटे प्राईवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी.सी. कुरील , सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन सं. III/4/असा./445/2020-21]

MINISTRY OF POWER

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 28th October, 2020

CEA-PS-11-21(21)/10/2020-PSPA-I Division.—Whereas, M/s Eden Renewable Cite Private Limited (ERCPL), the applicant with its Registered office at Unit No. 236B & 236C, 1st Floor, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity System to M/s Eden Renewable Cite Private Limited for 300MW Solar Power Plant in Village Lakhasar, Jaisalmer, Rajasthan” with the following scope of work:

- (i) Eden Cite ISTS Raj Power Plant – Fatehgarh-II PS 220 kV S/c line (suitable of carrying 300 MW at nominal voltage) along with terminal bays at ERCPL generation switchyard.*

* Length of transmission line is approx. 13.34 km out of which approx. 10 km would be implemented as S/c line on D/c towers and balance line near Fatehgarh-II PS substation would be implemented as S/c line on M/c towers.

And whereas CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No.CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division dated 27.02.2020 had granted prior approval under section 68 (1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Eden Renewable Cite Private Limited (ERCPL) for the following overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity System to M/s Eden Renewable Cite Private Limited for 300MW Solar Power Plant in Village Lakhasar, Jaisalmer, Rajasthan”:

- (i) Eden Cite ISTS Raj Power Plant – Fatehgarh-II PS 220 kV S/c line (suitable of carrying 300 MW at nominal voltage)

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity System to M/s Eden Renewable Cite Private Limited for 300 MW Solar Power Plant in Village Lakhasar, Jaisalmer, Rajasthan”

The overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

VILLAGES	TALUKAS	DISTRICT
Lakhasar	Pokhran	Jaisalmer
Sanwata, Rasla	Fatehgarh	Jaisalmer

M/s Eden Renewable Cite Private Limited has complied with the MoP’s procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003,

confers all the powers to M/s Eden Renewable Cite Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission line, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of overhead line under the transmission scheme “Connectivity System to M/s Eden Renewable Cite Private Limited for 300 MW Solar Power Plant in Village Lakhasar, Jaisalmer, Rajasthan”. The details of the works were published in the Gazette of India, dated March 28- April 3, 2020.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government;
- (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vii) M/s Eden Renewable Cite Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P.C. KUREEL, Secy., CEA

[ADVT.- III/4/Exty./445/2020-21